न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व वाद पत्र सं0 26/2014

1. श्री बाघा पुत्र श्री तेजा
2. श्री कज्जा पुत्र श्री तेजा
3. श्री छोटू पुत्र श्री तेजा
4. श्री लखपत पुत्र श्री तेजा
5. श्री बाबू पुत्र श्री दल्ला
6. श्री भाला पुत्र श्री दल्ला
7. श्री जस्सा पुत्र श्री रतना
8. श्री बालू पुत्र श्री रतना
9. श्री बिरदा पुत्र श्री रतना

समस्त जाति रावत निवासियान ग्राम रतनपुरा ग्राम पंचायत मोयणा तहसील मसूदा जिला अजमेर। —— **वादी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब मसूदा।
2. श्री धनपतसिंह पुत्र श्री नारायण
3. श्री विजयसिंह पुत्र श्री नारायण
4. श्रीमती सोहनी पुत्री श्री नारायण
5. श्रीमती सोनी पुत्री श्री नारायण

समस्त जाति रावत निवासियान ग्राम रतनपुरा ग्राम पंचायत मोयणा तहसील मसूदा जिला अजमेर। —— **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

:— निर्णय :— दिनांक 25.06.2016

प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम मसूदा प्रथम तहसील मसूदा जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता सं0 248 कुल किता 7 रकबा 11—14—00 बीघा व खाता सं0 249 कुल खसरा किता 4 रकबा 07—05—10 में ग्राम मसूदा प्रथम की संवत् 2059 से 2062 की जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता का नाम सहवन से रतना के स्थान पर रामा दर्ज कर दिया गया है। जो वर्तमान जमाबंदी तक इसी प्रकार चला आता है। संवत् 2059 से 2062 से पूर्व जमाबंदियों में प्रार्थीगण की वल्दियत रतना से दर्ज होती चली आई है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर संवत् 2059 से 2062 के बाद की सभी जमाबंदियों में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामा के स्थान पर रतना दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें। अप्रार्थी सं0 1 राज0 सरकार की ओर से भी जवाब प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण के पिता का नाम रतना है लेकिन सहवन से जमाबंदी संवत् 2059—62 दर्ज करते समय रामा दर्ज कर दिया गया है। अतः प्रार्थीगण के पिता का नाम रामा के स्थान पर रतना दर्ज कराने के आदेश दिया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पेश हुई। प्रार्थीगण एवं पैरोकार अप्रार्थी सं0 1 उपस्थित। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम मसूदा प्रथम की जमाबंदी संवत् 2041 के खाता सं0 497 व 2047 से 2050 के क्रमशः खाता सं0 1056 व 242 तथा 2051 से 2054 के क्रमशः खात सं0 261 व 1122 व 2055 से 2058 के क्रमशः खाता सं0 186 व 238 में प्रार्थीगण के पिता का नाम रतना दर्ज चला आया है लेकिन 2059 से 2062 के खाता सं0 195 से ही रतना के स्थान पर रामा दर्ज कर दिया गया है। यह रोटेशन जमाबंदी दर्ज करते वक्त सहवन से तफावत होना पाया जाता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मसूदा प्रथम की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के क्रमशः खाता सं0 248 व 249 में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामा के स्थान पर रतना वल्दियत से अंकित करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा को पालनार्थ भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम मसूदा पर मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.01.01 16:31:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: